

परिशिष्ट

(देखिय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत उमट्टा-बरसाली-मौणा मोटर मार्ग का बैरफाला-काण्डा तक विस्तारीकरण का निर्माण कार्य।

- 1.
- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। | जनपद चमोली में विधान सीमा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत उमट्टा-बरसाली-मौणा मोटर मार्ग-बैरफाला तक विस्तारीकरण का निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण। |
| (ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। | संलग्न |
| (ग) परियोजना की लागत। | रु. 41.72 लाख |
| (घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। | दुरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्र के विकास हेतु यातायात को सुलभ सुविधा उपलब्ध कराया जाना। |
| (ङ) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जानेके लिए) | लागू नहीं। |
| (च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। | स्थानीय कृषि उत्पादन , बागवानी एवं वानिकी में वृद्धि होने के फलस्वरूप रोजगार के अवसर बढ़ेंगे |
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:
- | | |
|-----------------|-----------|
| सिविल भूमि- | 0.747 हे. |
| वन पंचायत भूमि | 0.158 हे. |
| आरक्षित वन भूमि | 1.110 हे. |
- परियोजना के कारण कोई भी व्यक्ति परिवार विस्थापित नहीं होगा।
2. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है
- | | |
|------------------------------------------------|-------|
| (क) परिवारों की संख्या | ----- |
| (ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या | ----- |
| (ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) | ----- |

2. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?
(हां/नहीं)

हाँ,

3. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)

संलग्न

4. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

अनुसूची संलग्न है।

दिनांक...18/07/2017

स्थान...कर्णप्रयाग

अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

कच्छि अभियन्ता
लो.नि.वि.

सहस्यक अभियन्ता
लो.नि.वि.

अधिशायी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)